न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :–12 / 2024

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1. जानकी देवी पत्नी जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारीया नीव 2. रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारिया नीवं 3. रेखा पत्नी प्रकाश पुत्री जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारिया नीवं		1. तहसीलदार (भूमि–धाराक), सोजत जिला पाली

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत

–: निर्णय :– दिनांक – 16.3.24

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खारीया नीव, पटवार हल्का खारीया नीव, भू.अ.नि. क्षेत्र खारीया नीव तहसील सोजत में निम्नासार प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, खाता संख्या नया 446 एवं पुरानाः 407,ख0नं0 560 रकबा 1.3300 है0, ख0नं0 566 रकबा 1.4600 है0, कुल खसरे 02 कुल रकबा 2.7900 है0 किस्म स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में गोदाराम, हिमताराम, जावताराम, पिसरान बालूराम 1/2 कौम मेघवंशी व अन्य सा.देह खातेदार के नाम की रेवेन्यू रेकर्ड में दर्जसुदा रही, जो कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 से बखुबी साबित है, तत्पश्चात प्रार्थीगण के पिता जगदीशचन्द्र की मृत्यु वर्ष 1997 में हो गई तथा प्रार्थीगण के दादा हिमताराम जी की मृत्यु वर्ष 2005 में होने के पश्चात प्रार्थीगण के पिता जगदीशचन्द्र, प्रार्थीगण के दादा हिमताराम का फौतेदगी नामान्तरण संख्या 955 दिनांक 13.01.2007 को भर कर स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात रेवेन्यु रेकर्ड जमाबन्दी हिमताराम फोत के सीन पर तुलसाराम पुत्र हिमताराम, विदिया पुत्री हिमताराम फोत के स्थान पर तुलसाराम पुत्र हिमताराम, विदिया पुत्री हिमताराम, जानकी पत्नी जगदीष, रामचन्द्र, खेताराम, रमेशचन्द्र पुत्र जगदीश, रेखा पुत्री जगदीश दर्ज किया गया। प्रार्थीगण के पिता/पति को ग्राम खारीया नीव में जगदीशचन्द्र नाम से भी जानते थे, जबकि जगदीश का वास्तवीक व सही नाम दस्तावेजो से जगदीशचन्द्र था। प्रार्थीगण के पिता/पति जगदीशचन्द्र के व प्रार्थीगण के तमाम दस्तावेजों में उनकी वल्दीयत में उनके पिता का नाम जगदीशचन्द्र ही दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता/पति के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र में भी जगदीशचन्द्र ही अंकित है। लेकिन राजस्व

कर्मचारियों ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य की जॉच किये प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में जगदीशचन्द्र के सीन पर जगदीश दर्ज कर दिया, जो कि गलत दर्ज हुआ है, ग्राम खारीया नीव में जगदीश पुत्र हिमताराम नाम का अन्य कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रार्थीगण के पिता/पति का सही व वास्तविक नाम जगदीशचन्द्र पुत्र हिमताराम है, उपरोक्त त्रुटी की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 09.01.2024 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी कम्प्यूटर से ऑनलाईन लेने पर हुई कि प्रार्थीगण/प्रार्थीगण के भाई रामचन्द्र व खेताराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीश, रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र जगदीश, खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीश, रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीश व रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीश अंकित कर दिया गया है।, जिसको दुरूस्त कर प्रार्थीगण अधिकारी है, तदर्थ प्रार्थीगण इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है, कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण/प्रार्थी संख्या 1. के पुत्र रामचन्द्र व खेताराम का नाम जानकी पत्नी जगदीश के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, रामचन्द्र पुत्र जगदीश के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र व रेखा पुत्री जगदीश के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहने से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। तहसीलदार सोजत से वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु प्राप्त की गई। तहसीलदार सोजत मय मौका फर्द अनुसार माफिक ईश्तदुआ दुरूस्ती किए जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया किया राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र में भी जगदीशचन्द्र ही अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य की जॉच किये प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में जगदीशचन्द्र के स्थान पर जगदीश दर्ज कर दिया। जिसको दुरूस्त कर जानकी पत्नी जगदीश के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, रामचन्द्र पुत्र जगदीश के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र जगदीश के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र, रमेश पुत्र जगदीश के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र व रेखा पुत्री जगदीश के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरूस्त किया जावे। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपति नही होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना, फहरिस्त मय दस्तावेज, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण के पिता / पत्ती का नाम जगदीशचन्द्र होने की पुष्टि होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) जिला-पाली

–:आदेश:–

उपर्युक्त विवेचन विश्लेषण अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम खारीया नीव, पटवार हल्का खारीया नीव, भू.अ.नि. क्षेत्र खारीया नीव तहसील सोजत के ,ख0न0 560 रकबा 1.3300 है0, ख0न0 566 रकबा 1.4600 है0, कुल खसरे 02 कुल रकबा 2.7900 है0 किस्म स्थित है। की कृषि भूमि मे जानकी पत्नी जगदीश, के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र जगदीश के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचद्र, रमेश पुत्र जगदीश के स्थान रमेश पुत्र जगदीशचन्द रेखा पुत्र जगदीश के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरूस्त रूप से इन्द्राज किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 16.3.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)